मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 6853/2019/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 24/12/2019

प्रति,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर.

विषय:- मार्गदर्शन प्रदाय किये जाने बाबत।
संदर्भ:- आपसे प्राप्त ज्ञापन क्रमांक बी/5380, दिनांक 31.10.2019

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपसे संदर्भित ज्ञापन द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार 10 लाख के वित्तीय अधिकार 27 मदों के लिये अलग-अलग है या सभी को मिलाकर रू. 10 लाख है के संबंध में मार्गदर्शन हेतु नस्ती दिनांक 8.11.2019 को वित्त विभाग की ओर प्रेषित की गई थी। वित्त विभाग द्वारा निम्नलिखित मत के साथ नस्ती वापस की गई है:-

" बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 2012 भाग-1 के एनेक्झर-3 में उन मदों को दर्शाया गया है जिनमें व्यय की स्वीकृति दी जा सकती है। रूपये 10 लाख के प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार एक वर्ष के लिये है अर्थात एनेक्झर-3 की किसी भी मद के लिये व्यय की स्वीकृति इसे ध्यान में रखते हुये दी जानी है कि सम्पूर्ण मदों के लिये वर्ष में रूपये 10 लाख से अधिक की वित्तीय स्वीकृति न ही हो।"

अत: वित्त विभाग से प्राप्त अभिमत समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

24.12.

(रूपम वेदी)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
30 DEC 2019
Reg No........ 1897
Receipt Clerk
High Court Jabalpur